सूदखोर तोमरों के आत्मसमर्पण का समय खत्म, अब संपत्ति होगी कुर्क

सूदखोर तोमरों का धंधा तार-तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सूदखोरी, एक्सटार्शन, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फरार हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु, वीरेंद्र और रोहित तोमर के आत्मसमर्पण की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। कोर्ट ने 18 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों आरोपितों ने आत्मसमर्पण नहीं किया।

कोर्ट के निर्देशानुसार, अब उनकी चार संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुनवाई लंबित रहने के बावजूद कलेक्टर आरोपितों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर सकते हैं। बचाव पक्ष ने इसे अनुचित बताया है। पुरानी बस्ती सीएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आधार पर संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया अब राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी, जबकि पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी।

वीरेंद्र सिंह तोमर। ● फाइल फोटो

रोहित तोमर। ● फाइल फोटो

नईदुनिया लगातार

आज सरेंडर नहीं किया तो तोमर बंधुओं की संपत्ति होगी कुर्क

सूदखोर तोमरों का धंधा तार-तार

18 अगस्त को प्रकाशित

पुलिस कर रही खोज : पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार तोमर बंधुओं की तलाश कर रही हैं, लेकिन स्वजनों के मोबाइल सर्विलांस पर होने के बावजूद दोनों का लोकेशन नहीं मिल सका है। दो महीने से अधिक समय से फरार तोमर भाइयों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।